



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य व नई शिक्षा नीति 2020—एक अध्ययन

योगेन्द्र कुमार

(रिसर्च स्कॉलर) निर्वाण यूनिवर्सिटी, जयपुर (राज.)

सारांश—

प्रस्तुत प्रपत्र में भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य व नई शिक्षा नीति 2020 के सम्बन्ध में चर्चा की गयी है। इस प्रपत्र में अंग्रेजी हुकूमत कालीन शिक्षा से लेकर वर्तमान कालीन शिक्षा के सन्दर्भ में प्रकाश डाला गया है इसके साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओं का भी उल्लेख किया गया है।

मुख्य शब्दावली— भारतीय शिक्षा का इतिहास, नई शिक्षा नीति

प्रस्तावना

कंपनी के आज़ा पत्र 1813 की धारा 43 के अंतर्गत कंपनी ने भारतीयों की शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख की धनराशि की घोषणा की लेकिन इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया था कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा के विकास के लिए खर्च होगी लेकिन कालांतर में यह विषय विवाद का कारण बना कि यह धनराशि भारतीय भाषाओं के विकास के लिए खर्च की जायेगी, पश्चात भाषा के विकास के लिए खर्च की जाए। इसका समाधान जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया इन्होंने लॉर्ड मेकाले को नियुक्त किया लॉर्ड मेकाले ने 2 फरवरी 1835 में अपना ऐतिहासिक विवरण पत्र गवर्नर जनरल कौंसिल के सामने प्रस्तुत किया।

इसमें इन्होंने स्पष्ट किया कि 'साहित्य' शब्द को अंग्रेजी साहित्य माना जाए और आधुनिक विज्ञान का नाम अंग्रेजी में उपलब्ध है इसलिए अंग्रेजी भाषा को ही शिक्षण का माध्यम बनाया जाए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 में आज़ा पत्र की सभी बातें जो मेकाले ने प्रदान की थी उन सभी को मान लिया गया इस कारण से भारतीयों के लिए यूरोपीय ज्ञान और विज्ञान का रास्ता खुल गया। इसलिए सरकार ने बाध्य होकर भारतीयों के लिए एक शिक्षा नीति की घोषणा की गई। शिक्षा प्राप्ति के अवसर सभी लोगों के लिए खुल गए।

जाति धर्म लिंग क्षेत्र आदि की बाध्यता खत्म हो गई और सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते थे इस प्रकार भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम आम लोगों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो सके लेकिन इसके बाद 1882 भारतीय शिक्षा आयोग ने भारतीयों की शिक्षा प्राप्ति के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की तत्पश्चात अन्य आयोग के माध्यम से इस — और व्यवस्थित रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया।

भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा शिक्षा की स्थापना

1909—लेजिस्लेटिव काउंसिल ने सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने अनिवार्य और निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात की थी लेकिन कालांतर में जब महात्मा गांधी ने अपने पत्र 'हरिजन' के माध्यम से "अनिवार्य और निशुल्क" प्राथमिक शिक्षा और शैक्षिक अवधारणा प्रस्तुत की थी यह बात महात्मा गांधी ने 1937 में 'बर्धा शिक्षा योजना' बनी इसमें प्राथमिक शिक्षा की 7 वर्ष की अवधि की गई और शिक्षा को उत्पाद दस्तकारी के माध्यम से प्रदान की जाए। लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया तो इस बात पर स्पष्ट रूप प्रदान किया गया कि शिक्षा का लोकतांत्रिक रूप से निपुण युवा तैयार हो।

नई शिक्षा नीति 1986 के पश्चात केंद्र की मजबूत सरकार जो श्री नरेंद्र मोदी ने के नेतृत्व में है इसमें प्राथमिक शिक्षा नीति 2020 जारी की इस नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली मानव संसाधन विकास मंत्रालय के श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय शिक्षा के नए आयामों पर प्रकाश डाला। भारत में अब तक 1000 के आसपास विश्वविद्यालय हैं जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय निम्न विश्वविद्यालय आदि हैं। 45000 के लगभग कॉलेज हैं और 14 लाख के आसपास स्कूल हैं इसमें 35 करोड़ के आसपास सक्रिय विद्यार्थी हैं इनके लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई की शिक्षा इस तरह की प्रदान की जाए कि इनका सर्वांगीण विकास हो वह शिक्षा के माध्यम से आत्मसम्मान और सबलता को प्रदान करें यह शिक्षा भारत के सभी लोगों तक पहुंचे और विद्यार्थी अपनी जरूरत के अनुसार शिक्षा प्राप्त करें

इस शिक्षा के माध्यम से जवाबदेही तय की जा सकती है और सभी के अंदर समानता की मनोवृत्ति आए और यह शिक्षा गुणवत्ता युक्त हो। इस शिक्षा नीति का लक्ष्य है कि हमें अपनी जीडीपी का 6.00 प्रतिशत से अधिक का भाग शिक्षा पर खर्च करें। हमारे देश में वर्तमान में स्कूल जाने की उम्र के करीब दो करोड़ बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं इन बच्चों को खुले स्कूलों के माध्यम से वापस विद्यालय व्यवस्था में वापस लाया जाए

स्कूल जाने वाले 50 प्रतिशत बालक एवं बालिकाओं को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाए जिससे वह राष्ट्रीय विकास में सक्रिय रूप से अपना योगदान दे सकें इस बात पर बल दिया गया कि छात्रों को शिक्षा सुलभ कराने के लिए 2040 तक ऐकल कॉलेज की बजाय संयुक्त कोर्स के कॉलेज स्थापित किये जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहली बार ग्राम पंचायतों से भी राय ली गई जो इसके प्रसंगिकता को स्पष्ट करती है 29 जुलाई 2020 को यह मंजूर कर ली गई इस शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु यह है की शिक्षा का क्रम जो पहले 10 प्लस 2 प्लस 3 था उसमें अमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का कांसेप्ट स्वीकार किया गया प्राथमिक निर्माण की आयु को 8 वर्ष तक रखा गया जहां बालक अपने आप को पुष्ट कर सकें। बालक का पहले 5 वर्ष की आयु में पढ़ाई प्रथम चरण पूरा होगा। कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों की क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाए लेकिन छात्रों की व्यावसायिक दक्षता का निर्माण की उनकी बाहरी चीजों को दिखाकर किया जाए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देना जिससे उनका विकास निरंतर सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में होता रहे

निष्कर्ष –

स्पष्ट है कि 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' आधुनिक शिक्षा के इतिहास को और अधिक स्पष्ट और व्यापक कर पाने में सक्षम होगी इसका उद्देश्य है कि शैक्षिक दृष्टिकोण को और अधिक व्यापक बनाया जाए और नई पीढ़ी के छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाए और इस शिक्षा को जो छात्र प्राप्त करें और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करें हमारे देश में विषमताओं से युक्त 2 करोड़ से अधिक बच्चे जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली से दूर हैं उन्हें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण उन्हें खुले विद्यालय के माध्यम से उन्हें विद्यालय सिस्टम में वापस लाया जा सकेगा और शिक्षा सभी को सुलभ हो सकेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- डॉ. छाया श्रीवास्तव, नरेन्द्र कुमार, *शिक्षा नीतियां विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन*, राखी प्रकाशन, आगरा
- पंकज अरोड़ा, ऊषा शर्मा, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रचनात्मक सुधार की ओर*, क्षिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली
- अतुल कोठारी, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीयता का पुनरुत्थान*, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
- पूनम मदान, रामशक्ल पाण्डेय, *समसामायिक भारत और शिक्षा*, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा
- डॉ. विमला, डा अरुणा गुप्ता, *समकालीन भारत एवं शिक्षा* ठाकुर पब्लिकेशन, जयपुर
- डॉ. वीरेन्द्र पान्डेय, *भारत में शिक्षा एवं शैक्षिक प्रणाली का विकास*, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना
- डॉ. सुधांशु पाण्डेय, *शिक्षा नीति 2020 की कुछ संस्तुतियाँ एवं विमर्श*, नोएडा प्रेस, दिल्ली

